# महिलाओं की सेहत से खिलवाड़

**महाराष्ट्र के बीड जिले में करीब चार हजार से ज्यादा महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यह पहली मर्तबा नहीं है, जब पैसों की लालच में महिलाओं के गर्भाशय के साथ खिलवाड़ किया गया हो। छत्तीसगढ़ में भी कुछ साल पहले इस तरह का मामला सामने आया था। अब जरूरी है कि सरकार डॉक्टरों पर निगरानी की व्यवस्था बनाए।**

महाराष्ट्र के बीड जिले में करीब चार हजार से ज्यादा महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। इन महिलाओं के गर्भाशय महज इसलिए निकाल दिए गए ताकि वे लगातार गन्ने की कटाई का काम कर सकें और उनके इस काम में कोई रुकावट पैदा न हो। विधान परिषद में खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में इस बात को स्वीकारा है कि निजी क्षेत्र के 99 अस्पतालों में साल 2016-17 से 2018-19 के बीच यानी बीते तीन साल में 25 से 30 साल उम्र की इन महिलाओं की अज्ञानता और मजबूरी का फायदा उठाकर गर्भाशय निकाले गए। मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ मंत्रालय के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति में तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ और कुछ महिला विधायक भी होंगी। यह समिति गर्भाशय निकाले जाने के सभी मामलों की जांच दो महीने में पूरी कर सरकार को सौंपेगी। जिसके बाद सरकार इस मामले के सभी दोषियों पर जरूरी कार्यवाही करेगी।

इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह मामला, उस वक्त सामने आया जब कुछ स्थानीय अखबारों में इससे जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। जाहिर है अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित होते ही पूरे राज्य में हंगामा मच गया। रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। उसके बाद बीड के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर मामले की जांच की गई। जांच में यह मामला सही पाया गया। सूखे की वजह से हर साल चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के बीड जिले को मराठवाड़ा में मजदूरों के सप्लायर के तौर पर जाना जाता है। यहां 80 फीसदी परिवार मजदूरी का काम करते हैं। इन परिवारों की महिलाएं सबसे ज्यादा गन्ने के खेत व शुगर फैक्ट्री में काम करती हैं। महिला श्रमिकों का कुछ हिस्सा ईंट बनाने का काम भी करता है। गरीबी व भुखमरी से पीड़ित कई परिवार जिले के बाहर भी मजदूरी करने को मजबूर हैं। गरीब परिवारों की मजबूरी का फायदा वे ठेकेदार उठाते हैं, जो खेतों और शुगर फैक्ट्री में मजदूरों की सप्लाई करते हैं।

यहां के ठेकेदार अमूमन पति-पत्नी को साथ होने पर ही काम दिलवाते हैं। काम की शर्तें बड़ी अजीब हैं। यदि दंपत्ति एक दिन की भी छुट्टी लेते हैं, तो उन्हें पांच सौ रुपए तक जुर्माना देना पड़ता है। इन शर्तों का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। चूंकि मासिक चक्र के दौरान या फिर गर्भवती होने की स्थिति में महिलाओं को काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, इसलिए ठेकेदार उन पर दबाव डालते हैं कि वे गर्भाशय निकलवा दें। ताकि उन्हें माहवारी न हो या वे गर्भधारण न कर सकें। गर्भाशय निकाले जाने के बाद मासिक धर्म तो रुक ही जाता है, महिला मां भी नहीं बन सकती। ज्यादातर महिलाएं, जो मां बन चुकी हैं, वे गर्भाशय निकलवाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आलम यह है कि गन्ने के खेत में काम करने वाली पचास फीसदी महिलाओं ने अपना गर्भाशय निकलवा दिया है। यह जानते हुए भी कि इसके निकलवा देने से उनके स्वास्थ पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा।

नौजवान महिलाओं के गर्भाशय निकाल देने के इस अमानवीय व असंवेदनशील मामले में वे ठेकेदार तो शामिल हैं ही, जो खेतों और शुगर फैक्ट्री में महिलाओं को काम देते हैं, बल्कि उन निजी अस्पतालों और डॉक्टरों का भी कम गुनाह नहीं, जो चंद पैसों की हवस में महिलाओं की कोख निकालने का काला कारोबार कर रहे हैं। महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ करने के अपराध में शामिल हैं। यह पहली मर्तबा नहीं है, जब पैसों की लालच में महिलाओं के शरीर के इस अहम हिस्से गर्भाशय के साथ खिलवाड़ किया गया हो, आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में भी आज से कुछ साल पहले, इस तरह का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामला इतना चर्चित हुआ कि उस समय इसकी आवाज संसद में भी गूंजी। राज्य में साल 2010 से साल 2013 के दरमियान गर्भाशय निकालने के 1800 मामले सामने आए थे। ज्यादातर मामलों में विभिन्न बीमा योजना का लाभ लेने के लिए यह आपरेशन किए गए थे। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में निजी अस्पताल और उसके डॉक्टर शामिल थे। यहां भी ऑपरेशन की वजह पैसों का लालच था। देश में उस वक्त 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' चलती थी। जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 30 हजार रुपए तक का इलाज सरकारी खर्चे पर, कुछ निजी अस्पतालों से करवा सकते थे। यह योजना निजी अस्पतालों के लिए वरदान बन गई। इन अस्पतालों के डॉक्टरों ने सूबे की गरीब महिलाओं को गर्भाशय के कैंसर का डर दिखाकर गर्भाशय निकालने के ऑपरेशन किए।

कैंसर का डर बताने वाले डॉक्टरों ने न महिलाओं के कम उम्र की परवाह की, न ही उन्हें हकीकत सामने आने और यकीन टूटने का ख्याल आया। ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी परवाह नहीं की गई। कायदे से बच्चेदानी निकालने के पहले बायोप्सी होनी चाहिए, जिससे यह मालूम चलता है कि कैंसर है या नहीं। लेकिन जब पैसों का लालच इंसान के जमीर पर हावी हो, तो इन सब बातों की कौन परवाह करता है? उसमें भी जब महिलाएं गरीब हों और उनकी कोई सुनवाई करने वाला ना हो, तो व्यवस्था और भी ज्यादा निरंकुश हो जाती है। सब जानते हैं कि गर्भाशय, महिलाओं के शरीर का जरूरी हिस्सा है। गर्भाशय निकालना तभी जायज है, जब मरीज में कैंसर या दीगर कोई जानलेवा बीमारी के लक्षण मिले। यदि किसी महिला के गर्भाशय में कैंसर या और कोई जानलेवा बीमारी है, तभी डॉक्टर गर्भाशय निकालने की अनुशंसा करता है। कम उम्र की महिलाओं का बिना किसी वाजिब वजह के गर्भाशय निकाल देना नाजायज है। उसके साथ लैंगिक अत्याचार है। जिसका असर महिला लंबे समय तक भोगती है।

गर्भाशय निकाले जाने के बाद, महिलाओं का मासिक धर्म तो रुक ही जाता है, वह संतान भी पैदा नहीं कर सकती। शरीर पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, वह अलग। खास तौर पर कम उम्र की महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उनमें कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। हार्मोन के असंतुलन से संबंधित उनमें कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाएं डिप्रेशन की भी शिकार हो जाती हैं। एक तरफ सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश देने जैसा प्रगतिशील कानून लेकर आती है, तो दूसरी ओर कुछ राज्यों में महिलाओं के गर्भाशय महज इसलिए निकाल दिए जाते हैं, ताकि मजदूरी में कोई रुकावट पैदा न हो। सरकार और स्थानीय प्रशासन के ठीक नाक के नीचे महिलाओं के साथ यह अमानवीय कार्यवाहियां होती हैं और वे तमाशाई बने रहते हैं।

अब जबकि यह मामला सामने आ गया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पहले उन अस्पतालों और ठेकेदारों की शिनाख्त करें, जो इस गोरखधंधे में शामिल हैं। गुनहगारों की शिनाख्त हो जाने के बाद, उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हो और उन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाए।

**उत्कर्ष भट्ट (स्वतंत्र लेखाकार)**

## सम्पादकीय

# औली (गार्ची) का भारतीयकरण

उत्तराखंड के औली में हाल ही में एक बेहद खर्चीली शादी संपन्न हुई। मीडिया में इसे शाही शादी कहा गया। हम लाख लोकतंत्र की दुहाई दे दें, लेकिन राजशाही शायद हमारी मानसिकता से अभी गई नहीं है। इसलिए ताजपोशी, दरबार, खास और आम जैसे शब्द राजनैतिक संदर्भों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं, जबकि लोकतंत्र में सभी आम हैं, सभी एक बराबर हैं। बहरहाल, लगभग 2 सौ करोड़ की यह शादी औली पर बहुत भारी पड़ रही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के कारोबारी गुप्ता बंधुओं के दो बेटों की शादी पूरे रस्मोरिवाज और तामझाम के साथ संपन्न हुई। जिसमें मुख्यमंत्री, सांसद, योगगुरु के साथ-साथ फिल्मी सितारों ने भी शिरकत की। अब उदयपुर, गोवा जैसी जगहों के साथ-साथ औली जैसे सुंदर, पर्वतीय स्थल भी देसी और एनआरआई धनपशुओं के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग हेतु सुलभ हो गए हैं।

जहां ये कुदरत पर अपने रईसी की धौंस दिखा सकते हैं। गुप्ता परिवार के वैवाहिक समारोह में शामिल मेहमानों के लिए हेलीकाप्टरों की आवाजाही लगातार होती रही। इसके शोर से स्थानीय लोगों को तो तकलीफ हुई ही, लेकिन पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों पर जो बुरा असर पड़ रहा होगा, उसे तो वे व्यक्त भी नहीं कर सकते। शादी संपन्न होने के बाद तमाम लोग अपने-अपने ठिकाने चले गए और पीछे छोड़ गए कई चिंटल कचरा, जिसकी सफाई नगर निगम करवा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 235 चिंटल कूड़ा एकत्र किया जा चुका है और पूरी सफाई होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। इतने कचरे को कहां डाला जाएगा, इसमें कितना कचरा रिसाइकिल होगा, कितना धरती पर बोझ बना रहेगा, यह अलग चिंता का विषय है। खबरों के मुताबिक उद्योगपति गुप्ता परिवार ने यहां नगर निगम में 54,000 रुपये भी जमा किए हैं और सफाई की पूरी लागत का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। इस बीच शादी के कारण होने वाले प्रदूषण का मामला अदालत भी पहुंचा, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिया है कि कचरे के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर 7 जुलाई तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद आयोजकों ने सिक्योरिटी के तौर पर तीन करोड़ रुपये दो किस्तों में जमा कराए हैं। मान लें कि गुप्ता परिवार सफाई में जितना खर्च होगा, उससे अधिक का भुगतान भी कर दे, लेकिन क्या इससे उस नुकसान की भरपाई हो पाएगी, जो प्रकृति को हो चुका है। प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की आदत विकास का दावा करने वाली व्यवस्था की हो चुकी है। अभी खबर है कि मोदीजी की बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर मैंग्रोव बलि चढ़ाए जाएंगे। इस परियोजना के विरोध में गुजरात के किसान पहले से ही हैं। 2016 में दिल्ली में यमुना किनारे आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले रविशंकर ने करोड़ों रुपए खर्च कर तामझाम से कार्यक्रम संपन्न कराया था, इसमें भी यमुना, उसके किनारे के खेतों और पर्यावरण को नुकसान हुआ था, जिस पर 5 करोड़ का जुर्माना राष्ट्रीय हरित पंचाट ने उनकी संस्था आर्ट आफ लिविंग पर लगाया था।